

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर

क्रमांक:- एफ 9(05)(14) पेंशन पोर्टल/सा.न्या.अ.वि/2015-16/3107

जयपुर, दिनांक: 21/5/18

आदेश

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं जिनकी वैवाहिक स्थिति आयोजना विभाग के भामाशाह पोर्टल पर विधवा प्रदर्शित हो रही है, उनकी श्रेणी परिवर्तन हेतु भामाशाह पोर्टल से rajssp पोर्टल पर सूचना उपलब्ध कराये जाने पर ऐसी महिलाओं की वृद्धावस्था पेंशन योजना से विधवा पेंशन की श्रेणी में स्वतः ही परिवर्तन कर दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से पेंशनर को संशोधित (बढ़ी हुई दरों) से पेंशन का परिलाभ प्राप्त हो सकेगा।

स्वीकृतकर्ता अधिकारी के लॉगिन पर परिवर्तित की गई श्रेणी के ऐसे समस्त पेंशनरो की सूची प्रदर्शित होगी। स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा सम्बन्धित पेंशनर का संशोधित पीपीओ का प्रिन्टआउट लेकर सम्बन्धित पेंशनर को भिजवाया जायेगा साथ ही परिवर्तित की गई श्रेणी का पीपीओ ऑनलाईन सम्बन्धित पेंशन भुगतानकर्ता अधिकारी कोषाधिकारी/ उपकोषाधिकारी को अग्रेषित करेंगे।

(डॉ. समित शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक:- एफ 9(05)(14) पेंशन पोर्टल/सा.न्या.अ.वि/2015-16/3108-3728 जयपुर, दिनांक: 21/5/18

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि, राजस्थान जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त/ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज. विभाग/राजस्व/नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त संभागीय आयुक्त/समस्त जिला कलक्टर/समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
9. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. राजस्थान, जयपुर।
10. एसीपी, कम्प्यूटर प्रशाखा/प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
11. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी।
12. समस्त उपखण्ड अधिकारी/समस्त विकास अधिकारी।
13. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
14. आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव